संख्या- 96 /2016 /383 / चार-2016 -27 (बजट)/14

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 31 मार्च ,2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में संग्रहालय का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण योजनान्तर्गत राज्य संग्रहालय लखनऊ परिसर स्थित ओल्ड कोठी के दरवाजों की मरम्मत , पेंटिंग, टाईल्स एवं विकास आदि कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 1418/उ0प्र0सं0नि0-2(1-2)/-4/2014-15 दिनांक 22 मार्च 2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संग्रहालय का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण योजनान्तर्गत राज्य संग्रहालय लखनऊ परिसर स्थित ओल्ड कोठी के दरवाजों की मरम्मत , पेंटिंग, टाईल्स एवं विकास आदि कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा धनराशि रू0 67.32 लाख का आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर,2015 के निर्देशानुसार प्रायोजनाओं के मूल्यांकन एवं औचित्य के परीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-4110/चार-2015-131(वि)/2015 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 62.57 लाख निर्धारित की गयी है। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में संग्रहालय का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण योजनान्तर्गत राज्य संग्रहालय लखनऊ परिसर स्थित ओल्ड कोठी के दरवाजों की मरम्मत , पेंटिंग, टाईल्स एवं विकास आदि कार्यो हेतु रू0 62.57 लाख की प्रशासकीय तथा धनराशि रू0 31.00 लाख की (रूपये इक्तीस लाख मात्र) वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त स्थापन कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो संलग्न आगणन के अनुसार नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

5- प्रोपोराइटरी प्रकृति के कार्यो पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा।

6- प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का पालन किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता के स्तर के अधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

7 - यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8 - निदेशक, संग्रहालय का यह दायित्व होगा कि हस्तगत के पूर्व तकनीकी स्वीकृति के आगणन के सापेक्ष कार्यो का निरीक्षण कराने के उपरान्त ही हस्तगत की कार्य की जाय। प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

9 - प्रस्तावित कार्य के मानचित्र का अनुमोदन निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा किया जाना आवश्यक होगा। शासनादेश संख्या-13/431/चार-2015-27(बजट)/14 दिनांक 04 मार्च,2015 द्वारा रू0 45.66 लाख की स्वीकृति की भौतिक प्रगति से अवगत कराया जाय। कार्य की द्विरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाय।

10 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

11 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या - /2016 / 283(1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ ।
5 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6 - परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।